

नया राशन कार्ड प्राप्त करने हेतु घोषणा-पत्र

प्रति;

1. ग्राम पंचायत -----
में -----(परिवार के मुखिया का नाम)
पुत्र / पुत्री -----
- 2.वर्तमान पता-मकान नं.-----गली नम्बर-----
3. स्थायी पता-मकान नम्बर-----गली नम्बर-----
मोहल्ला-----वार्ड नम्बर-----
इस नगर / ग्राम में वर्ष -----से रहता है।
4. व्यवसाय-----पद-----
5. कार्यस्थल / कार्यालय का पता-----
6. मेरा वर्तमान राशन कार्ड नम्बर-----सदस्य संख्या -----
यूनिट संख्या-----है ब.उ.मू.दु.क्रमांक-----है।
7. मेरे पास ग्राम -----तहसील -----जिला-----
(म.प्र.) का राशनकार्ड क्र.-----है, जो इस घोषणा -पत्र के साथ जमा
कर रहा हूँ।
8. मुझे पूर्व में कभी राशनकार्ड प्राप्त नहीं हुआ।
9. मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण (आज की स्थिति में) निम्नानुसार है:-

क्रमांक	सदस्य का नाम	आयु	मुखिया से रिश्ता	वोटरलिस्ट नम्बर केवल वयस्क सदस्यों के लिए
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

केवल उनके द्वारा भरा जाएगा, जो राशनकार्ड धारक है।

केवल उनके द्वारा भरा जाएगा, जो अन्य स्थान का राशनकार्ड जमा कर रहे है।

केवल उनके द्वारा भरा जाएगा, जिनके पास राशनकार्ड नहीं है।

(2)

10. मैं यह घोषणा करता हूँ कि खण्डिका 9 में मेरे परिवार के सदस्यों का जो विवरण दिया गया है उनमें से किसी भी सदस्य के नाम न तो पृथक से राशनकार्ड में है तथा न ही उनमें से किसी का म.प्र.के किसी भी जिले के राशनकार्ड में नाम है। मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा-पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा मैंने कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है। मुझे ज्ञान है कि यदि स्थल निरीक्षण या अन्य जाँच के दौरान मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मैं भारतीय दण्ड संविधान तथा अत्यावश्यक वस्तु के अधिनियम के तहत दण्ड का भागी रहूँगा। जिसके तहत 7 वर्ष का कारावास तथा अर्थदण्ड दोनों की सजा दी जा सकती है।

स्थान-----हस्ताक्षर (मुखिया)-----

दिनांक-----नाम-----

11. मैं -----(गवाह का नाम) आत्मज-----
निवासी-----मकान नं.-----गलीनं.-----
मोहल्ला-----वार्ड नं.-----आवेदक श्री-----
-----द्वारा खण्डिका 9 में दी गई समस्त जानकारी की पुष्टि करता हूँ। मुझे ज्ञान है कि झूठी पुष्टि करने के फलस्वरूप मुझे कानूनी दण्ड दिया जा सकता है।

हस्ताक्षर-----

गवाह राशनकार्ड नं.-----

दुकान नम्बर-----

केवल कार्यालयों के उपयोग के लिए स्थल निरीक्षण रिपोर्ट

श्री -----(मुखिया का नाम)के घर पर दिनांक -----

-----को जाँच की तथा उनको मौके पर निवास प्रमाणित होता है / नहीं होता है।

उनका वोटर लिस्ट क्रमांक -----

हस्ताक्षर-----

नाम जाँचकर्ता-----

हस्ताक्षर-----

नाम जाँचकर्ता-----

पर्यवेक्षक दल की रिपोर्ट

स्थल निरीक्षण में आवेदक परिवार का मौके पर निवास प्रमाणित हुआ है/ नहीं हुआ है। अतः परिवार को नया राशनकार्ड क्रमांक-----जारी किया जाए / नहीं किया जाए ।

हस्ताक्षर-----

पर्यवेक्षक क्रमांक(1)

हस्ताक्षर-----

पर्यवेक्षक क्रमांक(2)

आवेदक नोट करे-

यदि आवेदन के साथ परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साईज की फोटो राशनकार्ड शुल्क रूपये 5.80 की रसीद तथा पुराना राशनकार्ड (जिनके पास है) जमा करना अनिवार्य है।